<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>17.01.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने 14.01.2026 को मेसर्स मोक्षित कॉर्पोरेशन के साझेदार शशांक चोपड़ा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत "चिकित्सा उपकरण और री-एजेंट" की खरीद घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया है। शशांक चोपड़ा को 15.01.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष हाजिर किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 4 दिनों के लिए अर्थात 19.01.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

रायपुर स्थित एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा दायर एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर ईडी ने मोक्षित कॉर्पोरेशन और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससीएल) तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस) के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की। आरोप था कि शशांक चोपड़ा ने डीएचएस और सीजीएमएससीएल के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके निविदा प्रक्रियाओं में हेरफेर किया, मनगढ़ंत मांगें बनाईं और सीजीएमएससीएल को चिकित्सा उपकरण और रीएजेंट अत्यधिक बढ़ी हुई कीमतों पर आपूर्ति किए, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और आरोपी तथा उसके सहयोगियों को अवैध लाभ प्राप्त हुआ।

ईडी की जांच से पता चला है कि अनुसूचित अपराध, यानी सीजीएमएससीएल को चिकित्सा उपकरण और रीएजेंट्स की अत्यधिक कीमत पर आपूर्ति करने से प्राप्त धनराशि (पीओसी) अर्जित की गई थी। इसके लिए निविदा प्रक्रियाओं में आरोपी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके हेराफेरी की गई थी। इसके बाद, शशांक चोपड़ा ने अपने सहयोगियों की मदद से कई संस्थाओं/फर्मों को जोड़ कर और प्रशिक्षण एवं रखरखाव सेवाओं के लिए उनके साथ फर्जी सेवा समझौते करके इस धनराशि की कई स्तरों पर लेयरिंग की और अंत में बड़ी मात्रा में नकद राशि निकाली, जिसका उपयोग अवैध रिश्वतखोरी और संपत्ति अधिग्रहण के लिए किया गया।

इससे पहले, आरोपी और उसके सहयोगियों से जुड़े कई स्थानों पर पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई थी, जिसमें बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर और वाहनों के रूप में **43 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति** जब्त/फ्रीज की गई थी। कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए, जिनसे साक्ष्य के आधार पर धन के हेरफेर, विभिन्न स्तरों पर लेन-देन और छिपाने(लेयरिंग) का खुलासा हुआ।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।